भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *244

11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनटीसीपी हेतु आवंटित निधियां

***244. श्री देरेक ओब्राईन:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) हेतु आवंटित निधियों एवं प्रत्येक राज्य को आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है तथा एनटीसीपी के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या एनटीसीपी दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

11 अगस्त, 2026 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.244 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में एनटीसीपी का कार्यान्वयन सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (700 से अधिक जिलों को कवर करते हुए) में राष्ट्रीय, राज्य और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों के माध्यम से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के फ्लेक्सीपूल के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 से एनएचएम के सभी पूल और कार्यक्रमों का "आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सीपूल" के अंतर्गत विलय कर दिया गया है। एनएचएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फ्लेक्सीपूल के अंतर्गत एकमुश्त आधार पर निधियाँ जारी की जाती हैं, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग करने में अधिक छूट मिल सके। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक एनटीसीपी सहित एनएचएम के तहत केंद्र द्वारा जारी धनराशि और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण तथा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय आवंटन, **अनुलग्नक 1** पर है।

इसके अलावा, केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत एनटीसीपी को 04 (चार) राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशालाएँ चलाने, 04 (चार) तंबाकू क्विट लाइन केंद्र चलाने और सर्वेक्षण करने के लिए भी निधियाँ आवंटित की जाती हैं। पिछले 03 (तीन) वर्षों का तत्संबंधी विवरण **अनुलग्नक 2** पर हैं।

(ग): राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश पूरे देश में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु रूपरेखा प्रदान करते हैं। एनटीसीपी के तहत जारी विभिन्न दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

i. परिचालन संबंधी दिशानिर्देश - राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (2015)
ii. दंत चिकित्सा संस्थानों में तंबाकू निवारण केंद्रों की स्थापना के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश (2018)
iii. राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश (2019)
iv. तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए संशोधित दिशानिर्देश (टीओएफईआई, 2019)
v. गांवों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं (2024)
vi. तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश (2024)
vii. चिकित्सा संस्थानों में तंबाकू निवारण केंद्र स्थापित करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश (2024)
viii. स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मार्गदर्शिका- तंबाकू उपयोगकर्ताओं को छोड़ने में मदद करना (2024)
ix. आयुष संस्थानों में तंबाकू निवारण केंद्र स्थापित करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश (2025)
x. एनटीटीएल (2026) के लिए नमूने लेने हेतु मानक परिचालन प्रक्रियाएं।

अनुलग्नक 1

एनएचएम के अंतर्गत एनटीसीपी सहित वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए केंद्रीय निर्गत और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय आवंटन:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2023-24		2024-25		2025-26		2026-27
		केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय आवंटन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37.84	40.71	49.99	44.41	44.41	48.48	48.72
2	आंध्र प्रदेश	1,096.01	2,833.44	1,319.61	2,439.82	1,162.85	2,764.51	1377.2
3	अरुणाचल प्रदेश	404.55	399.44	388.86	472.93	349.93	411.14	401.65
4	असम	2,257.06	2,626.87	2,076.25	2,607.54	2,318.22	2,601.84	2234.09
5	बिहार	2,032.95	4,010.97	2,367.18	4,466.31	2,508.99	4,287.22	2717.01
6	चंडीगढ़	30.58	31.85	43.43	37.29	50.53	49.53	35.98
7	छत्तीसगढ़	875.8	1,743.79	969.11	1,784.09	1,159.42	2,121.60	1349.11
8	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	39.92	41.96	40.96	40.47	49.12	43.02	62.53
9	दिल्ली	150.54	338.41	240.39	365.44	346.34	547.04	317.24
10	गोवा	48.97	84.53	55.06	95.17	51.2	90.2	51.09
11	गुजरात	1,506.96	4,040.00	1,324.86	3,198.15	1,362.72	2,757.10	1485.75
12	हरियाणा	524.01	1,221.41	562.49	1,127.06	636.01	1,402.07	659.38
13	हिमाचल प्रदेश	470.36	629.76	523.7	654.52	572.05	653.43	578.74
14	जम्मू और कश्मीर	805.22	956.95	1,040.76	1,110.30	1,017.14	1,180.71	1024.48
15	झारखंड	958.06	1,992.91	964.31	1,986.59	984.57	1,873.32	1117.05
16	कर्नाटक	1,187.60	2,741.98	1,295.81	2,478.23	1,268.26	2,513.61	1448.53
17	केरल	189.15	1,246.25	1,351.78	1,422.88	813.16	1,743.43	915.7
18	लक्षद्वीप	3.79	7.1	9.68	10	12.94	10.4	10.84
19	मध्य प्रदेश	2545.68	5202.61	2430.91	5225.77	3,047.35	5,628.05	2839.71

20	महाराष्ट्र	2,729.30	5,001.70	2,417.95	4,364.86	2,496.92	5,149.77	2669.9
21	मणिपुर	169.12	159.32	279.16	295.79	255.54	366.92	279.16
22	मेघालय	261.39	305.83	297.95	393.01	336.52	377.57	274.78
23	मिजोरम	134.42	179.84	159.96	174.67	179.13	206.88	178.66
24	नागालैंड	184.84	196.69	204.47	243.6	187.95	228.1	236.7
25	ओडिशा	1,901.77	3,356.68	1,916.79	3,585.01	1,760.71	4,330.21	1646.05
26	पुदुच्चेरी	30.8	45.74	26.27	49.27	30.83	56.4	57.5
27	पंजाब	91.49	1,428.94	878.21	1,027.72	724.47	1,146.42	661.82
28	राजस्थान	2,785.46	4,350.63	2,398.62	4,772.33	2,360.80	4,540.21	2927.9
29	सिक्किम	68.17	75.77	81.67	89.59	99.18	117.93	94.53
30	तमिलनाडु	1,996.06	3,104.16	1,742.67	3,461.74	1,714.44	3,191.61	1769.84
31	त्रिपुरा	264.31	309.62	268.67	279.35	331	382.15	307.34
32	उत्तर प्रदेश	4,928.14	10,572.60	5,853.43	10,377.16	5,686.12	11,069.32	5517.51
33	उत्तराखंड	711.33	709.79	604.05	760.15	620.69	722.3	645.26
34	पश्चिम बंगाल	890.42	3,641.98	688.44	3,583.07	1,324.66	3,588.42	1991.45
35	तेलंगाना	564.93	1,288.75	1,110.43	1,872.42	868.92	1,452.06	834.17
36	लद्दाख	120.44	119.67	135.98	150.5	142.24	138.98	147.71

1. उपरोक्त निर्गत केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं और इनमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल हैं। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार है।

अनुलग्नक 2

पिछले 03 (तीन) वर्षों के दौरान केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत एनटीसीपी के लिए आवंटित निधियों का विवरण:

वर्ष	आवंटित बजट (करोड़ में)
2023-24	19.47
2024-25	11.10
2025-26	8.77
2026-27	29.25
